दिनांक-25.03.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल-जमाव के निराकरण हेतु समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक-25.03.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में ईखायुक्त, बिहार, गन्ना विभाग के अधिकारियों, सुगर मिलों के प्रतिनिधियों तथा जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के साथ गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल-जमाव के निराकरण हेतु समीक्षा बैठक की गई।

बैठक में गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल-जमाव के निराकरण हेतु दिनांक-16.02.2026 को दिये गये निदेशो के अनुपालन की समीक्षा की गई जिसमें मुख्यत: गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल जमाव के निराकरण हेतु किये जा रहे सर्वेक्षण कार्य एवं अद्यतन कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई। गन्ना आच्छादित जिलों यथा पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सीवान, समस्तीपुर एवं बेगुसराय जिलें में अभी तक कुल 352 योजनाओं का चयन कर संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा (जी राम जी) को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें 268 योजनाओं को युक्तिधारा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है एवं विभागीय अभियंताओं द्वारा अबतक कुल 119 योजनाओं को तकनीकी रूप से स्वीकृत कर इसके प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिला क सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही वैसी योजनाए जिस पर अतिक्रमण एवं भू-अर्जन का मामला है, पर विस्तृत चर्चा की गयी ।

- **समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिये गये निदेश निम्नवत् है :-**

1. मसान नदी पर तटबंध निर्माण हेतु कुल 30 मौजों में से 14 मौजों का सर्वेक्षण कर भू-अर्जन अधियाचना जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है एवं शेष बचे 16 मौजों का सर्वेक्षण कार्य अप्रैल माह तक पूरा कर भू-अर्जन अधियाचना जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

   (कार्रवाई:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

2. बैठक में मुख्य अभियंता, गोपालगंज/मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि परिक्षेत्राधीन भू-अर्जन से संबंधित क्रमश: 18 एवं 05 अद्द् योजनाओं को मध्यम अवधि में रखा गया है एवं मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि परिक्षेत्राधीन चयनित योजनाओं में भू-अर्जन की स्थिति नही है। समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को कहा गया कि अपने स्तर से मृत बागमती नदी के स्थल निरीक्षणोंपरांत पुन: भू-अर्जन से संबंधित प्रतिवेदन 20 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। गन्ना कृषि क्षेत्रों से जल निकासी हेतु वैसी जल निस्सरण नालाएँ जो पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि से गुजरती है, के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित विभागों से NOC प्राप्त करने निमित कार्रवाई की जाय। साथ ही जिन योजनाओं में भू-अर्जन की आवश्यकता हो, के संबंध मे विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए।

   (कार्रवाई:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/गोपालगंज)

(शैलजा नन्दन)
सहायक अभियंता,
बाढ़ नि० क० प्र०-4,
पटना.

(रिंकु कुमार)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नि०क०प्र०-4
पटना

3. काँवर झील से निसृत चैनल पर चेक डैम निर्माण होने से संबंधित क्षेत्रों में गन्ना कृषि उत्पादन पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आकलन हेतु जिस समिति का गठन किया गया है उसमें संबंधित चीनी मिल के प्रतिनिधि को सदस्य के रुप में नामित किया जाय। साथ ही संबंधित आकलन प्रतिवेदन विभाग को आगामी बैठक के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्रवाई:-अभियंता प्रमुख, बाढ़ एवं मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

4. मृत बागमती नदी के गाद उड़ाही कार्य के संबंध में गन्ना विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि योजना कार्यान्वियन होने से गन्ना उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होने के साथ-साथ इसके अव्यव से इथिनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा। इस प्रकार विस्तृत योजना प्राक्कलन के Benefit/Cost ratio के पुर्नसमीक्षा की आवश्यकता प्रतीत हुई। क्षेत्रीय अभियंताओं को निदेश दिया गया कि गन्ना विभाग के अधिकारियों/ चीनी मिल के प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित कर वांछित ऑकड़ा प्राप्त कर Case Study तैयार करते हुए योजना प्रतिवेदन में शामिल किया जाय। तदोपरांत वर्णित नदी के गाद उड़ाही कार्य का विस्तृत योजना प्राक्कलन समर्पित किया जाय।

(कार्रवाई:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

5. मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से स्थल निरीक्षणोंपरांत पुनः अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन 3-4 दिवस के अंदर संबंधित जिला पदाधिकारी एवं विभाग को उपलब्ध को कराया जाय। मुख्य अभियंता, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को अतिक्रमन हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने निमित संचिका उपस्थापित किया जाय।

(कार्रवाई:-अधीक्षण अभियंता, बाढ़ योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/गोपालगंज)

6. मनरेगा के तहत गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल जमाव के निराकरण हेतु जिन योजनाओं को चिन्हित किया गया है, उसमें भू-अर्जन से संबंधित योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजानाओं को Yuktidhara Portal पर Update कराने के साथ-साथ योजनाओं को तकनीकी रुप से स्वीकृत कर इसके प्रशासनिक स्वीकृति कार्रवाई निमित जिला के सक्षम प्राधिकार को 10-15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना विभाग को दिये जाने हेतु निदेश दिया गया। तदोपरांत मुख्य सचिव महोदय, बिहार से योजनाओं पर शीघ्र कार्यान्वियन हेतु अधोहस्ताक्षरी स्तर से अनुरोध किया जा सकता है।

(कार्रवाई:-अधीक्षण अभियंता, बाढ़ योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/गोपालगंज एवं मुख्य अभियंता, सिचाई सृजन, मोतिहारी/सिवान)

7. बैठक में दिये गए निदेशो के अनुपालन की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.04.26 को अपराह्न 03.00 बजे सिचाई भवन, सभागार कक्ष में किया जाएगा।
8. बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं सुगर मिल्स के प्रतिनिधिगण की सूची परिशिष्ट-01 में संलग्न है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(शैलजा नन्दन)
सहायक अभियंता
बाढ़ नि० अ० प्र०-4
पटना।

(रिंकु कुमार)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नि० अ० प्र० - 4
पटना

1/4/26
S.E.(Flood)

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024- 1323 /पटना, दिनांक-07-04-2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024- 1323 /पटना, दिनांक- 07-04-2026

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024- 1323 /पटना, दिनांक- 07-04-2026

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख, सिचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024- 1323 /पटना, दिनांक-07-04-2026

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनेटरिंग अंचल-4, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024- 1323 /पटना, दिनांक-07-04-2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों के ई-मेल करने एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ज्ञापांक- बाढ़(मो0)सिं0वि0-60/2024- 1323 /पटना, दिनांक- 07-04-2026

प्रतिलिपि- श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, गृह विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित। कृपया माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

(वरुण कुमार)
अभियंता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण